महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षांतर्गत अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२५/प्र.क्र.२३/का-०४

नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक :- २१ ऑगस्ट, २०२५

संदर्भ :- १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२५/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०७. एप्रिल, २०२५

- २) शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२५/प्र.क्र.२३/का-०४, दि.०७. एप्रिल, २०२५
- ३) शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२५/प्र.क्र.२३/का-०४, दि.२९ एप्रिल, २०२५
- ४) शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२५/प्र.क्र.२३/का-०४, दि.३ जून, २०२५
- ५) शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२५/प्र.क्र.२३/का-०४, दि.२६ जून, २०२५
- ६) शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२५/प्र.क्र.२३/का-०४, दि.३१ जुलै, २०२५

शासन निर्णय :-

राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य खर्चावरील निधी वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज,वाटप आणि सनियंत्रण प्रणालीवर तरतूद उपलब्ध केली आहे. या शासन निर्णयाद्दारे खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (२) मधील लेखाशिषं/ उद्दिष्टांकरिता स्तंभ क्र. (५) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹२६७७७.८६ लक्ष मधून ₹२०५४.९३ लक्ष (अक्षरी वीस कोटी चोपन्न लक्ष न्यानव हजार फक्त) इतका निधी आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे.

(रुपये हजारात)

| अ.क्र. | प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट | अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी | प्रस्तावित |
|--------|--|--------------|----------|------------|
| ज.я٬. | प्रयाग लेखाराय, संगंचय सायलाय ठादण | तरतूद | वितरीत | वितरण |
| (9) | (२) | (३) | (8) | (५) |
| | २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, | | | |
| | ०२-समाज कल्याण, | | | |
| | ००१ संचालन व प्रशासन, | | | |
| | (०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय | | | |
| 9 | (०१) (०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय | | | |
| | (अनिवार्य) (२२३५-२०७२) | | | |
| | ०१, वेतन | ५००००० | 9९०००० | 40000 |
| | ०३, अतिकालिक भत्ता | ३५० | ۷۵ | ३५ |

| अ.क्र. | प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट | अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी | प्रस्तावित |
|--------|--|--------------|----------|------------|
| (0) | · | तरतूद | वितरीत | वितरण |
| (9) | (2) | (3) | (8) | (4) |
| | ०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क | ३२०० | 22051- | ३२० |
| | १०, कंत्राटी सेवा | ६३०७२ | २३९६७ | ६३०७ |
| | ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च | २२६६ | ५६६ | २२६ |
| | १३, कार्यालयीन खर्च | १२२९३ | 3003 | १२२९ |
| | १४, भाडेपट्टी व कर | ६०७९ | 9498 | ६०८ |
| | १७, संगणक खर्च | ५०३ | 0 | 0 |
| | २१, पुरवटा व सामग्री | १०० | 0 | 0 |
| | २६, जाहिरात व प्रसिध्दी | 800 | o | o |
| | २७,लहान बांधकामे | २६८१ | o | o |
| | २८, व्यावसायिक सेवा | 40 | o | ц |
| | ५०, इतर खर्च | २० | १२ | o |
| | ५१, मोटार वाहने | ३५ | o | o |
| | एकूण (०१) (०१) | ५९१०४९ | २२००२४ | ५८७३० |
| २ | (०१) (०३) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती | | | |
| | अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा | | | |
| | परिषदांना, आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) | | | |
| | (अनिवार्य) (२२३५–२३२१) | | | |
| | ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) | ८५८ | 0 | 0 |
| | ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) | १४५२७९ | ५५२०६ | १४५२७ |
| | एकूण (०१) (०३) | १४६१३७ | ५५२०६ | १४५२७ |
| | एकूण (०१) | ७३७१८६ | २७५२३० | ७३२५८ |
| | एकूण ००१ | ७३७१८६ | २७५२३० | ७३२५८ |
| | १०२,बाल कल्याण | | | |
| | ०१,बालक समृध्दी योजना | | | |
| 3 | (०१) (०४) बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित | | | |
| | गृहे व सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे.(अनिवार्य) | | | |
| | (२२३५–३०३२) | | | |
| | ०१, वेतन | ५६६६१ | २१५३१ | ५६६६ |
| | ०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क | १०८४ | २७१ | १०८ |
| | १०,कंत्राटी सेवा | २१८६०० | o | 0 |
| | ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च | १६२ | ४० | १६ |
| | १३, कार्यालयीन खर्च | २०७ | ५१ | २१ |
| | १४, भाडेपट्टी व कर | १२६५ | ३१६ | १२६ |
| | १९, आहार खर्च | ३२५० | ८१२ | ३२५ |
| | २१, पुरवठा व सामग्री | ४०७ | 0 | 0 |
| | ५०, इतर खर्च | १६८ | 0 | 0 |

| | | अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी | प्रस्तावित |
|--------|---|-------------------------|--------------|------------------|
| अ.क्र. | प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट | तरतूद | वितरीत | वितरण |
| (9) | (२) | (3) | (8) | (५) |
| | एकूण (०१) (०४) | २८१८०४ | २३०२१ | ६२६२ |
| 8 | (०१) (०५) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची | | | |
| | स्थापना (अनिवार्य) (२२३५ ए ३११) | | | |
| | ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) | ১১६७ | 3000 | 79 |
| | ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) | १२१११ | ४६०२ | १२११ |
| | एकूण (०१) (०५) | १९४९९ | ७६०२ | १२११ |
| | एकूण (०१) | ३०१३०३ | ३०६२३ | ६७४७ |
| ч | ०२, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान | | | |
| | (०२) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या | | | |
| | मुलांसाठी संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना | | | |
| | सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५-३०४१) | | | |
| | ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) | ११८३७४ | ७१०२४.४ | o |
| | ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) | १७३३९० | ६५८८८ | १७३३९ |
| | एकूण (०२) (०३) | २९१७६४ | १३६९१२.४ | १७३३९ |
| હ | (०२) (०४) महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण मंडळाला | | | |
| | सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) | | | |
| | ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) | १२८४८५ | ४६२५४ | 0 |
| | ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) | १८४०० | ६९९२ | १८४० |
| | एकूण (०२) (०४) | १४६८८५ | ५३२४६ | १८४० |
| | एकूण (०२) | ४३८६४९ | १९०१५८.४ | १९१७९ |
| | एकूण १०२ | ७३९९५२ | २२०७८१.४ | २६६५२ |
| 0 | १०३, महिला कल्याण | | | |
| | (०१) महिला कल्याण योजना | | | |
| | (०१) (०१) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे | | | |
| | (अनिवार्य) (२२३५-१२५४) ०१, वेतन | 25 | 5 - 4 | 25 |
| | ०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क | १६०००० | €0<00 | १६००० |
| | १०, कंत्राटी सेवा | ४१८१ १७ <i>६०</i> १२ | १०४५ ३९५६ | १०४१ १०४१ |
| | १९, देशांतर्गत प्रवास खर्च | १२०० | 300 | १२० |
| | १३, कार्यालयीन खर्च | 7800 | ६१७ | |
| | १४, भाडेपट्टी व कर | رون دون دون | २१७५ | ٥٥٥ |
| | १९, आहार खर्च | 30000 | 9400 | 3 000 |
| | २१, पुरवटा व सामग्री | ५२८० | 0 | 0 |
| | ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) | ८५६ | 0 | o |
| | ५०, इतर खर्च | ७१२ | 0 | 0 |
| | एकूण (०१) (०१) | ३८९४११ | ७६३९३ | २१६८६ |

| अ.क्र. | प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट | अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी | प्रस्तावित |
|--------|--|--------------|----------|------------|
| | 7. 1. 7. 47 S.1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | तरतूद | वितरीत | वितरण |
| (9) | (२) | (3) | (8) | (4) |
| ۷ | (११) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान | | | |
| | (११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने | | | |
| | (अनिवार्य) (२२३५–२१६१) | | | |
| | ०४, निवृत्तीवेतन विषयक खर्च | २०४६७ | ୧୯୧୯ | २०४६ |
| | ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) | १०६०८३ | २०००० | १५००७ |
| | ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) | ५४४४८ | २०६९० | ५४४५ |
| | एकूण (११) (०१) | १८०९९८ | ४८४६७ | २२४९८ |
| 9 | (२३) संरक्षण अधिकारी | | | |
| | (२३) (०१) संरक्षण अधिकारी (अनिवार्य) (२२३५ ए ८५७) | | | |
| | ०१, वेतन | 300000 | ११४००० | 30000 |
| | ०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क | १२८२ | ३२० | १२८ |
| | १०, कंत्राटी सेवा | €0000 | २२८०० | ६००० |
| | ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च | ४३२९ | १०८२ | ४३३ |
| | १३, कार्यालयीन खर्च | ११३५६ | २८३९ | ११३५ |
| | १४, भाडेपट्टी व कर | ४१७८ | १०४४ | ४१८ |
| | १७, संगणक खर्च | ٥٥٥٥ | 0 | o |
| | २०, इतर प्रशासकीय खर्च | ३५९० | 0 | o |
| | एकूण (२३) (०१) | ३९२७३५ | १४२०८५ | ४११४ |
| | एकूण १०३ | ९६३१४४ | २६६९४५ | ८२२९८ |
| 90 | १०४,वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण | | | |
| | (०१) (०१) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) | | | |
| | ०१, वेतन | १९३६५० | ७३५८७ | १९३६५ |
| | ०३, अतिकालीन भत्ता | १२८ | ३२ | १२ |
| | ०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क | 3400 | ८७५ | ३५० |
| | १०, कंत्राटी सेवा | ७९१ | २४५ | १३४ |
| | ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च | १२२८ | ३०७ | १२२ |
| | १३, कार्यालयीन खर्च | १५०० | ३७५ | १५० |
| | १४, भाडेपट्टी व कर | 479 | १३२ | ५३ |
| | १९, आहार खर्च | ३१००० | ७७५० | ३१०० |
| | २१, पुरवटा व सामग्री | ४१३८ | 0 | 0 |
| | ५०, इतर खर्च | ٥٥٥ | 0 | 0 |
| | एकूण (०१) (०१) | २३७२६४ | ८३३०३ | २३२८६ |
| | एकूण १०४ | २३७२६४ | ८३३०३ | २३२८६ |
| | एकूण ०२, समाज कल्याण | २६७७५४६ | ८४६२५९.४ | २०५४९३ |
| 99 | ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम | | | |
| | १०४, ठेव संलग्न विमा योजना | | | |

| अ.क्र. | प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट | अर्थसंकल्पीय तरतूद | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित वितरण |
|--------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|
| (9) | (२) | (३) | (8) | (4) |
| | (००) (०१) ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य) | | | |
| | (२२३५-२२५२) | | | |
| | ५०, इतर खर्च | २४० | १२० | 0 |
| | एकूण ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा | २४० | १२० | o |
| | एकूण २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) | २६७७७८६ | ८४६३७९.४ | २०५४९३ |

- २. या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ शर्तींचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील.
- ३. सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबीखाली यापुर्वी वितरीत अनुदानाचा विनियोग पुर्ण झालेला असल्याबाबत नियंत्रक अधिकारी यांनी खात्री करावी त्याचप्रमाणे याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त करावीत. यापूर्वी वितरीत कलेल्या अनुदानाची तसेच या शासन निर्णयानुसार वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल.
- ४. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला निधी कोषागारातून आहरीत करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतुदी तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं २०२५/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०७. एप्रिल,२०२५ मधील मार्गदर्शक सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
- ५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२५०८२११७४७३७२८३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(सुनिल सरदार) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
- २. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई
- ३. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई
- ४.) सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई
- ५. उप आयुक्त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे
- ६. उप आयुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे
- ७. सर्व विभागीय उपायुक्त (महिला व बाल विकास)
- ८. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी
- ९. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद

- १०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर
- ११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर
- १२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई
- १३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई
- १४. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १६. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १७. निवड नस्ती, का-०४.